Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 72-2016 Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 11 मई, 2016
(21 वैशाख, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का0आ012/के0अ029/1986/धा0 5 तथा 7/2016– दिनांक 11 मई, 2016 अनुसूची–I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों, अनुसूची–II के अनुसार अपेक्षित उत्सर्जन मानक तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय, अनुसूची–III के अनुसार पहले से ही स्थापित स्टोन क्रैशर जोनों तथा अनुसूची–iv के अनुसार परिलक्षित जोनों की स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया के बारे में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के लिए निर्देश जारी करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	95–123
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2016

संख्या का.आ. 12/के०अ०29/1986/धा०5 तथा 7/2016.— चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48–क अन्य बातों के साथ–साथ विचार करता हैं कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण की कोशिश करेगा;

और, चूंकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 तथा 7 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981(1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14), की धारा 19 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन तथा राज्य में पार्यावरण अपकर्ष रोकने तथा यातायात और मानव स्वास्थ्य सम्बंधी खतरों से बचने के लिए परिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए तुरन्त उपाय करना आवश्यक तथा समीचीन है;

और, चूंकि राज्य सरकार, औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु तथा पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने तथा क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य खतरे से भी बचाने के लिए पहले ही निर्णय ले चुकी है;

और, चूंकि हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का.आ. 126/के.अ. 29/86/धा. 5 तथा 7/ 97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 के अनुसार, अनुसूची–I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों, अनुसूची–II के अनुसार अपेक्षित उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों, अनुसूची–III के अनुसार जोनों की पहचान तथा स्थलों की उपलब्धता तथा अनुसूची–IV के अनुसार परिलक्षित जोनों में स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया के बारे में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के लिए निर्देश दिए गए थे;

और, चूंकि राज्य सरकार ने हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 150/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7 / 1998, दिनांक 30 अक्तूबर, 1998, संख्या का0आ0 125/के0अ0 29/1986/धा0 5 / 2000, दिनांक 18 अक्तूबर, 2000, संख्या का0आ0 85/के0अ0 29/86/धा0 5 तथा 7 / 2001, दिनांक 20 जून, 2001 तथा संख्या का0आ0 31/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7 / 2004, दिनांक 18 मार्च, 2004 द्वारा जारी पूर्वोक्त अधिसूचनाओं में विभिन्न संशोधन किए हैं;

और, चूंकि राज्य सरकार की राय है कि विद्यमान अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए नई अधिसूचना जारी करना आवश्यक तथा समीचीन है;

इसलिए, अब, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 152 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 126/के0अ0 29/86/धा0 5 तथा 7 /97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997, अधिसूचना संख्या का0आ0 150/ के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7 / 1998, दिनांक 30 अक्तूबर, 1998, संख्या का0आ0 125/के0अ0 29/1986/धा0 5/2000, दिनांक 18 अक्तूबर, 2000, संख्या का0आ0 85/के0अ0 29/86/धा0 5 तथा 7/2001, दिनांक 20 जून, 2001 तथा संख्या का0आ0 31/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7 /2004, दिनांक 18 मार्च, 2004 के अधिक्रमण में, तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 16/75/2007–3 पर्या0, दिनांक 21 अक्तूबर, 2015 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुसूची–I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों, अनुसूची– II के अनुसार अपेक्षित उत्सर्जन मानक तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय, अनुसूची– III के अनुसार पहले से ही स्थापित स्टोन क्रैशर जोनों तथा अनुसूची– IV के अनुसार परिलक्षित जोनों की स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया के बारे में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् :–

उपरोक्त निर्दिष्ट अधिक्रमित अधिसूचनाओं के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई इस अधिसूचना के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी जहां तक वे इस अधिसूचना के उपबन्धों से असंगत न हों, अर्थात्:–

अनुसूची I
हरियाणा में स्टोन क्रैशरों के स्थल निर्धारण हेतु मानक

क्रम संख्या	मानदण्ड	किलोमीटर में दूरी
1	2	3
1.	निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.0
2.	मुख्य जिला सड़कों तथा अन्य सड़कों की निकटतम बाहरी सीमा से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.1
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	5.0
4.	निकटतम नगरनिगम की सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	3.0
5.	निकटतम नगर/शहर/नगरपालिका सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.5
6.	निकटतम गांव फिरनी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी यदि वहां कोई फिरनी नहीं है, तो दूरी गांव के लाल डोरे से मापी जाएगी।	1.0
7.	सड़कों, नहरों, रेलवे लाइनों तथा बांधों के साथ वन/पौधारोपण पट्टी के सिवाए सरकारी रिकार्ड (राजस्व या वन विभाग) में वन के रूप में अभिलिखित किसी भूमि से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.5
8.	सरकारी रिकार्ड (राजस्व या वन विभाग) में वन के रूप में अभिलिखित सड़कों, नहरों, रेलवे लाईनों तथा बान्धों के साथ वन/पौधारोपण की किसी पट्टी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.1
9.	20 किलोलीटर क्षमता की खुले आसमान की अनुमोदित जल आपूर्ति स्कीम से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.5
10.	अन्तरंग रोगियों के प्रबन्ध के लिए 25 या उससे अधिक बिस्तरों का प्रबन्ध करने वाली किसी अन्तरंग स्वास्थ्य उपचार इकाई से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.0
11.	राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारणों (शरण–स्थान) तथा संरक्षण आरक्षणों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	2.0

निम्नलिखित निर्देश उपरोक्त कथित अनुसूची के सम्बन्ध में भी दिए जाते हैं :–

(i) सभी दूरियां, जब तक विशेष रूप से *ऊपर* वर्णित नहीं की जाती हैं, सम्बन्ध आकृति (रूपक) की परिधि के लिए स्टोन क्रैशर की भूमि की निकटतम सीमा से कौवा उड़ान (क्रो फ्लाई) के रूप में मापी जानी हैं।

(ii) अधिसूचित, अनुमोदित क्रैशर जोन तथा उनका विस्तार उपरोक्त स्थल निर्धारण न्यूनतम दूरी मानदण्ड से प्रभावित नहीं होगा जैसा कि उपरोक्त स्थल निर्धारण मानदण्ड के संयोजन में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के समूह वाली सम्भाव्यता सम्भव नहीं हों । उपरोक्त वर्णित स्थल निर्धारण मानदण्ड केवल वर्तमान अधिसूचित, अनुमोदित क्रैशर जोन या उनके विस्तार से बाहर के क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली स्टोन क्रैशिंग इकाइयों को लागू होंगे ।

(iii) किसी भी स्टोन क्रैशर इकाई को फरीदाबाद तथा पलवल जिलों (पूर्व फरीदाबाद जिला) में परिलक्षित क्रैशर जोनों के बाहर स्थापित या संचालित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(iv) किसी भी नई स्टोन क्रैशर इकाई को परिलक्षित स्टोन क्रैशर जोनों से बाहर गुड़गांव जिले में स्थापित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(v) यदि संरक्षित क्षेत्र जैसे कि राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारणों (शरण स्थान) तथा संरक्षण आरक्षण के इको–अति संवेदनशील जोन दो किलोमीटर से अधिक दूरी का नियन्त्रण रखने के लिए अधिसूचित है, तो उस का पालन किया जाएगा ।

(vi) विभिन्न विहित स्थानों से स्टोन क्रैशरों की दूरी सम्बद्ध तहसीलदार द्वारा प्रमाणित/सत्यापित की जाएगी तथा वन भूमि के लिए स्थल निर्धारण दूरी के बारे में रिपोर्ट सम्बद्ध मण्डल वन अधिकारी से ली जाएगी। बोर्ड का सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी मण्डल वन अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सत्यापन से भिन्न विहित स्थानों की दूरी सत्यापित करेगा।

अनुसूची II

उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों की अपेक्षाएं

मद संख्या I

प्रदूषण नियन्त्रण पैरामीटर :–

किसी स्टोन क्रैशिंग इकाई के किसी प्रक्रिया उपकरण से 3 मीटर तथा 10 मीटर के बीच मापा जाने वाला या आस्थगित परमाणु कण (जिसे, इसमें, इसके बाद, एस पी एम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 600 माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होगा। एस पी एम का माप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए नियमों के अनुसार किया जाना है।

मद संख्या II

प्रदूषण नियन्त्रण उपायः–

पर्यावरण सरंक्षण नियम, 1986 के अधीन स्टोन क्रेशिंग इकाइयों द्वारा अनिवार्य बाध्यता के अनुसार निम्नलिखित प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र तथा माप लगाए जाने तथा संचालित किए जाने अपेक्षित हैं :–

क. ढके हुए शेडों तथा फव्वारों के रूप में साधन के लिए धूल नियन्त्रण एवं निरोध प्रणाली;

ख. दूरदर्शी जल प्रपात की व्यवस्था के साथ–साथ कम से कम 50 मीटर लम्बी तथा कम से कम 16 फुट ऊंचाई की अनुमोदित वायु रोकने वाली दीवार का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए कि नोड से पीसी हुई सामग्री ऐसे बिन्दु से छोड़ी जाती है जो वायु रोकने वाली दीवार की ऊंचाई से कम से कम 2 फुट नीचे है। दीवार संरचनात्मक रूप से पक्की होगी तथा क्रैशर इकाई की अतिसंवेदनशील आबादी की दिशा को आच्छादित करेगी;

ग. स्थापना की सहमति देते समय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित क्रैशिंग इकाइयों के परिसरों के भीतर या स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के आवासन जोन के भीतर वाहन संचालन के लिए धातु सड़क का निर्माण तथा अनुरक्षण;

घ. अनुमोदित क्रैशर जोन के परिसरों के भीतर या तो व्यक्तिगत रूप से या क्रैशरों द्वारा संयुक्त रूप से मुहैया कराई जाने वाली धातु सड़कें प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) के परामर्श से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यथा अवधारित होंगी । ये सड़के निर्माण तथा अनुरक्षण की सन्तोषजनक विशिष्टियों के अनुसार निर्मित की जाएंगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को जोन में स्टोन क्रैशर या एकल स्थल या जोनों के भीतर परिसरों के निरन्तर संचालन को रद्द करने का प्राधिकार होगा जहां ऐसी धातु सड़के प्रश्नगत क्षेत्र को यथा लागू व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से सन्तोषजनक रूप से निर्मित या अनुरक्षित नहीं की गई हैं।

ड. क्रैशिंग इकाई के परिसरों तथा शेष अहाते तथा जोन, जहां इकाई स्थित है, के भीतर भूमि की नियमित सफाई करना तथा उसे गीला करना।

च. सभी स्टोन क्रैशिंग इकाइयों से सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी द्वारा पौधारोपण योजना के अनुमोदन के बाद दो पंक्तियों की पौधारोपण वृक्षवीथि वाली परिधि के साथ हरित पट्टी मुहैया कराई जाएगी। परिसरों के भीतर पौधारोपण के सम्पूर्ण रूप से विकसित होने तक परियोजना प्रस्तावक धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए परिधि के साथ अवरोध/रूकावट का निर्माण किया जाएगा। ऐसी रूकावट सभी तरफ से परिसरों को पूर्णरूप से बन्द करने वाली होनी चाहिए तथा या तो चार दीवारी या लचीला कपड़ा (तारपोलिन इत्यादि) या दोनों का संयोजन हो सकता है। रूकावट की ऊंचाई वाहक पट्टे के उच्चतम सिरे की ऊंचाई से कम नहीं होगी।

छ. स्टोन क्रैशिंग इकाइयां कम से कम 10 किलोलीटर क्षमता की जल भण्डारण सुविधा के साथ–साथ कम से कम 50 फव्वारों का प्रबन्ध करेंगी। इसके अतिरिक्त उन्हें 100 टन प्रतिदिन के स्टोन क्रैशिंग क्षमता तथा उच्चतर क्षमता क्रैशर इकाइयों के लिए तद्नुसार यथानुपात के लिए कम से कम 10 किलोलीटर जल प्रतिदिन छिड़कना चाहिए।

ज. फव्वारा प्रणाली के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्टोन क्रैशिंग इकाइयां भार सर्वेक्षण तथा मांग विशेषता वाले पृथक उर्जा मीटर के साथ–साथ अन्तःपाशन (इन्टरलोकिंग) प्रणाली का प्रबन्ध करेगी।

झ ऐसे प्रदूषण नियन्त्रण साधन द्वारा उर्जा की खपत के लिए उर्जा मीटर द्वारा यथा अभिलिखित सम्पूर्ण घण्टा–वार लॉग–बुक हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या इसके प्राधिकृत अधिकारी को स्थल पर या मुख्यतः उसके बाद तीन कार्य घण्टों की अवधि के भीतर उसकी मांग पर तुरन्त उपलब्ध कराई जाए।

ञ. स्टोन क्रैशिंग इकाइयां कच्ची सामग्री केवल वैध स्रोत से प्राप्त करेंगी तथा वैध खनन पट्टा धारकों से एकमात्र सम्पर्क करना होगा तथा देशविधि के अधीन उस पर यथा लागू उत्पादन डाटा, भुगतान कर तथा शुल्कों के साथ–साथ स्टोन क्रैशिंग इकाइयों द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री के स्रोत तथा मात्रा तथा उपयोग से सम्बन्धित सम्पूर्ण डाटा प्रस्तुत करेंगी।

ट. किसी अनुमोदित अधिसूचित जोन के साथ हरित पट्टी कम से कम 100 मीटर की गहराई की होंगी या हरित पट्टी की गहराई की दिशा में ऐसे वृक्षों की कम से कम 10 पंक्तियों सहित क्रैशर जोन की परिधि के साथ होंगी। परिधि के साथ ऐसे वृक्षों का अंतराल परिधि के साथ आठ मीटर से अधिक नहीं होगा। बागान वृक्षों की प्रकृति तथा ऐसे वृक्ष बागान के लिए अपेक्षित उनके संरक्षण उपाय सक्षम मण्डल वन अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे। हरित पट्टी लगाने तथा अनुरक्षण के लिए जिम्मेवारी उस समय पर चलाई जाने वाली सभी स्टोन क्रैशर इकाइयों की होगी तथा यदि कोई स्टोन क्रैशिंग इकाई इस निर्देश का पालन नहीं करती है, तो बोर्ड चूककर्ता स्टोन क्रैशिंग इकाई के खर्च पर इसे कराएगा। यदि इकाई बोर्ड द्वारा उपगत खर्च का भुगतान करने में असफल रहती हैं, तो इकाइयों को कानून के चूककर्ता के रूप में समझा जाएगा तथा अन्यथा वैध गतिविधि के बावजूद उनके स्टोन क्रैशरों को चलाने से वंचित कर दिया जाएगा।

ठ. किसी भी स्टोन क्रैशर को चौ, नदी या उनके बाढ़ संरक्षण तटबंध के भीतर नदी तल में स्थापित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

ड. समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 15 अप्रैल 2014 द्वारा अधिसूचित बोर्ड के दिनांक 6 मार्च, 2014 के सहमति पालिसी आदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन स्थापना की सहमति तथा चलाने की सहमति प्राप्त करने के लिए भी लागू होंगे।

मद संख्या III

अननुपालन इकाइयों को बदला जाना

वे सभी स्टोन क्रैशिंग इकाइयां, जो इस अधिसूचना में विहित स्थल निर्धारण मानदण्ड को पूरा नहीं करती हैं, को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर जो दूसरे एक वर्ष के लिए विस्तारयोग्य है बशर्ते कि स्टोन क्रैशिंग इकाई तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को आवेदन करके इस अधिसूचना के अनुसार स्थल निर्धारण मानकों को पूरा करने वाले स्थल के लिए भूमि प्राप्त करती हैं, इस अधिसूचना की अनुसूची I के अनुसार स्थल निर्धारण पैरामीटरों को पूरा करने वाले स्थल में या जोन में खाली स्थलों की उपलब्धता पर आधारित परिलक्षित जोन में बदलनी होंगी।

मद संख्या IV

भूमि की आवश्यकता

प्रत्येक नई स्टोन क्रैशिंग इकाई चाहे वह अधिसूचित जोन में है या बाहर है, को भूमि का कम से कम एक एकड़ का क्षेत्र (मशीनरी के एक सेट सहित 10000 घन फीट/प्रतिदिन तक की क्रैशिंग क्षमता) तथा 1.5 एकड़ भूमि (10000 घन फीट/प्रतिदिन से अधिक क्रैशिंग क्षमता या मशीनरी के एक सेट से अधिक सहित क्रैशिंग क्षमता) का मालिक होना चाहिए तथा में चलाना चाहिए। यदि भूमि पट्टे पर ली गई है, तो पट्टा राजस्व प्राधिकारी से रजिस्टर्ड होना चाहिए तथा यदि भूमि पंचायत से पट्टे पर ली गई है, तो यह प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग की लिखित अनुज्ञा सहित होनी चाहिए। पट्टा अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा अपरिवर्तनीय होना चाहिए ।

अनुसूची–III

परिलक्षित स्टोन क्रैशर जोन

क्रम संख्या	जोन का नाम	जोन	क्षेत्र				
1	2	3	4	5	6	7	8
		जिला	तहसील	हदबस्त सहित गांव	खसरा संख्या	क्षेत्र एकड़ों में	जोन में समायोजित किए जाने वाले स्टोन क्रैशरों की अधिकतम संख्या
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
1	बिल्हा	पंचकूला	पंचकूला	बिल्हा 237	28 1,2,3,4,5/1,5/2,6, 7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16/1,16/2,17,18/1, 18/2,19/1,19/2,20,21, 22,23/1,23/2,24,25 29 1,2/1,22/2,3,4/1,4/2, 4/3,5,6/1,6/2,6/3, 7/1,7/2,8,9/1,9/2,10, 11,12/1,12/2,13/1, 13/2,14/1,14/2,15, 16,17,18,19/1,19/2, 20,21,22/1,22/2,22/3, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1,24/2,25/1,25/2 30 1,2,3/1,3/2,4,8/1, 8/1/2,8/2,9/1,9/2, 9/3,10,11/1,11/2,12, 13/1,19/1,19/2,20, 21/1,21/2,22/1,22/2 32 1,2/1,2/2,3,4/1,4/2, 5/1,5/2,6,7/1,7/2, 8, 8/1,8/2/1,8/2/2, 9,10/1,10/2,10/3, 11/1,11/2,11/3,12, 13/1,13/2,14,15,17, 18,19/1,19/2, 20, 21, 22,23/1, 23/2, 24 33 1,2/1,2/2,3/1,3/2, 4,5,6,7/1,7/2,8,9, 10,11,12/1,12/2,13/1, 13/2,14,15/1,15/2	98 एकड़ 3 कनाल तथा 18 मरला	50

2.	बुर्जकोटियां	पंचकूला	कालका	बुर्जकोटियां 196	325 मिन, 326 से 331, 334,335,356 से 404, 405 मिन, 406 मिन, 416 मिन,	105 एकड़	36
3.	खानक	भिवानी	तोशाम	खानक 34	205 20,21,22,23 216 3,4,6,7,8,13,14,15, 16,17,18,23,24,25 217 13,14,15,16,17,18, 23,24,25 218 6,11,15,16,19,20, 21, 22, 25 219 3,8,9,10,11,12,13,17, 18,19,20,21,22, 23 220 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25 234 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25 235 1,2,3,4,5,8/1,8/2,9, 10,11,12,13/1,13/2, 18,19,20,21,22, 23 236 1,2,5,6/1,6/2,9,10, 11,12,15,16,19,20, 21,22,25 237 3,4,5,6,7,8,13,14, 15,16,17,18,23,24, 25 238 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,17, 18,19,20,21,22/1, 22/2,23/1,23/3,23/2, 24/1,24/2,25/1,25/2	237.64 एकड़	93

3.	खानक	भिवानी	तोशाम	खानक 34	242 2,3,4,5,6, 243 3,4,5,6,7,8,15 244 1,2,5,6,9,10,11, 12,15,16 245 1,2,3,8,9,10,11, 12,13,17,18,19,20 246 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25 258 1,2,3,4,5,6,7,8, 10	237.64 एकड़	93
4.	दादम	भिवानी	तोशाम	दादम 36	10 4,5,6,7,14,15,16 11 1,2,3,4,5,6,7,8/1,8/2, 9/1, 9/2,10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19,20,23,24/1, 24/2, 25 12 10,13,14/1,14/2,15, 16,17,18, 23,24, 25/1,25/2 13 11,16,19/1,19/2,20, 21,22,25 14 21,22,23,24 16 1,2,7,8,9,10,11,12, 13,14,15 17 1,2,3,8/1,8/2,9,10, 11,12,13	81.1 एकड़	

4.	दादम	भिवानी	तेशाम	दादम 36	18 1,2/1,2/2,5,6,9,10, 11,12,15,20 19 3,4,6,7,8,13,14,15, 16,17,18 20 4,5,6,7	81.1 एकड़	
5	नोरंगपुर	गुड़गांव	गुड़गांव	नोरंगपुर– 157	77 16,17,18,22/1,22/2, 23/1,23/2,24,24/2, 25/1, 25/2 14 20,21,22 74 10,11 75 2,3,4,5,6,7,8,9,12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19,19/1, 20/1, 20/2,21/1,21/2,22, 23,24,25 76 16/1,16/2,17/1,17/2, 18/1,18/2,19/1,19/2, 20/1,20/2,21/1,21/2, 22,23,24,25 85 3,4,5,6,7,8, 11 मिन–पूर्व, 12 मिन–पूर्व, 13 मिन–उत्तर, 141/1 मिन–उत्तर, 14/2 मिन–उत्तर 16 मिन–उत्तर 19 मिन उत्तर 20 मिन पश्चिम 86 1/1,1/2,2,3,4,5,6/1, 6/2,7/1,7/2, 8/1, 8/2,9,10, मिन–उत्तर, 12/1, 12/2, 13,14,16,17,18,19/1, 19/2, मिन–उत्तर, 20/1,मिन–उत्तर	104 एकड़, 3 कनाल, 4 मरला	80

5	नोरंगपुर	गुड़गांव	गुड़गांव	नोरंगपुर– 157	87 1/1,1/2,1/3,2,8,4,5, 6,7,8,9,10/1,10/2, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,2 88 1,2,9,10,11,20 91 110 मिन–पूर्व	104 एकड़, 3 कनाल, 4 मरला	80
6	इन्द्री रेवासन	मेवात	नूंह	इन्द्री 197	173 1/1,1/2,1/3,2,3,4, 5/1,5/2,6,7,8,9/2,9/1, 10,12/1, 12/2, 13/1, 13/2,14/1,14/2,15/1, 15/2,16,17,18,23, 24,25 175 4,5,6,15 172 1,2,3,4,7,8,9,10/1, 10/2,11,12,13/1, 13/2,14,17,18,19,20, 21,22,23,24 176 1,2,3,8,9,10,11,12	372 कनाल	18
7	इन्द्री रेवासन	मेवात	नूंह	इन्द्री 108	45 3/2,7,8,13,14,15, 16,17/1,17/2,18/1, 18/2,19/1,22,23,24/1, 24/2,25 44 20 58 1/2,2,3,4,5/1, 5/2,6,7/1, 7/2, 8,9/1,9/2,9/3, 10,11/1,11/2,12,13, 14,15,16,17,18,19,23, 24 59 1,10 60 4		

8	रायसीना	गुड़गांव	सोहना	रायसीना 184	100 22 मिन–पूर्व, 23 मिन–पूर्व, 24 125 1 मिन–पूर्व 2,3,4,5,6,7,8,9/1,9/2,10,11,12/1,12/2,13,14,15,16,17/1,17/2,18,19,20,21,22,23,24,25/1,25/2,26 126 1,10,11,20,21 129 1,10 130 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	41 एकड़, 2 कनाल, 5 मरला	
9	बेला माजरा	यमुनानगर	छछरोली	बेला माजरा –71	10 16,17,21,22,23,24, 25 13 1 to 12	80 एकड़, 0 कनाल, 11 मरला	16
10	डोएवाला	यमुनानगर	छछरोली	डोएवाला 69	16 1,2 to 17,18/1,18/2,19/1,19/2,20 to 25 22 1,2/1,2/2,2/3,3/1,3/2,3/3,4/1,4/2,7,8,9,10/1,10/2,10/3,11/1,11/2,12/1,12/2,13,14,17/1,17/2,18,19,20/1,20/2,21,22/1,22/2,23,24/1,24/2 27 1,2,3,4,5/1,5/2,6,7/1,7/2,8,9,10/1,10/2,11 से 15,17,18,19,20		
11	बुर्जकोटियां विस्तार	पंचकूला	पंचकूला	बुर्जकोटियां विस्तार–196	174 मिन, 152 मिन, 118 मिन, एक तरफ के लिन्क रोड तथा दूसरी तरफ के घग्गर नदी के किनारे के बीच में स्थित	34 एकड़	

12	धौज	फरीदाबाद	फरीदाबाद स्टोन क्रैशिंग जोन	धौज	9 7 मिन, 8,9,10,11, 12, 13,14 मिन 17 मिन, 18,19,20,21,22,23, 24 मिन 10 1 मिन, 6 मिन, 7 मिन, 8,9, 10,11,12,13, 14, मिन, 15 मिन, 16 मिन, 17 मिन, 18,19,20,21, 22,23,24, मिन, 25 मिन 11 5 मिन, 15 मिन, 16मिन, 25 मिन 12 5 मिन, 6 मिन 13 1,2,3,4,5,6 मिन, 7मिन, 8 मिन, 9मिन, 10मिन, 15मिन, 16मिन, 25 मिन 14 1,2,3,4 मिन, 5मिन, 6 मिन, 7मिन, 8, 9, 10, 11,12,13,14मिन, 15मिन, 16,17,18,19, 20, 21, 22, 23,24,25 15 1,2 मिन, 8 मिन, 9 मिन, 10,11,12,13मिन, 17 मिन, 18 मिन, 19, 20, 21, 22, 23,24मिन 25 1,2,3,4 मिन, 7 मिन, 8,9,10,11,12, 13मिन, 14 मिन, 18 मिन, 19,20,21,22, 23मिन 26 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22, 23,24,25 27 5 मिन, 6 मिन, 15 मिन, 16 मिन, 25 मिन		

	हरित पट्टी	स्टोन क्रैशर जोन क्षेत्र से अतिरिक्त स्टोन क्रैशर जोन के चारों ओर 100 मीटर चौड़ी			5 24 मिन, 25 मिन 6 21 मिन, 22,23,24,25 7 21,22,23,24,25 मिन 8 18मिन,19,20,21,22, 23 मिन 9 1,2,3,4,5मिन, 6 मिन, 7 मिन, 14 मिन, 15मिन, 16, 17 मिन, 24मिन, 25 10 1 मिन, 2,3,4,5,6 मिन, 7 मिन, 14 मिन, 15, 16, 17 मिन, 24 मिन 25 मिन 11 4 मिन, 5 मिन,6 मिन, 7 मिन, 14 मिन,15, 16 मिन, 17 मिन, 24मिन, 25 मिन 12 4 मिन, 5 मिन,6 मिन, 7 मिन, 14मिन,15, 16 मिन,17 मिन 13 6 मिन,7 मिन, 8मिन, 9 मिन, 10मिन,11,12, 13,14,15मिन,16मिन, 17 मिन,18 मिन, 19 मिन, 20मिन, 24मिन, 25मिन 14 4 मिन, 5मिन, 6मिन, 7मिन, 14मिन, 15मिन 15 2 मिन, 3मिन, 4 मिन, 7मिन, 8मिन, 9मिन, 13मिन, 14मिन,15मिन, 16मिन, 17मिन,18मिन, 24मिन, 25मिन		

					25 4मिन, मिन, 6मिन, 7मिन, 13मिन, 14मिन, 15मिन, 16मिन,17, 18मिन, 24, 25मिन 27 4 मिन, 5मिन, 6मिन, 7 मिन,13मिन, 14मिन, 15मिन, 16मिन,17, 18मिन, 24, 25मिन 30 4 मिन, 5, 6, 7मिन 31 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 32 1,2,3मिन, 4,5 मिन, 6 मिन, 7 मिन,8 मिन, 9, 10.		

टिप्पण :

उपरोक्त अधिसूचित जोनों के अतिरिक्त, दो और स्टोन क्रैशिंग जोन अर्थात् गांव पाली तथा मोहब्तबाद, जिला फरीदाबाद खान तथा भू–विज्ञान विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या का0 आ0 37/ ह0अ0 15/92 धा0 2/93, दिनांक 30 अप्रैल, 1993 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

अनुसूची–IV
परिलक्षित जोनों में स्टोन क्रैशिंग इकाइयों की स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया

1. हरियाणा राज्य में कहीं भी कार्यरत वर्तमान स्टोन क्रैशिंग इकाई, जो अनुसूची–I में यथा विनिर्दिष्ट या अनुसूची– III के अनुसार परिलक्षित जोनों के क्षेत्रों में नहीं पडती हैं, या तो अनुसूची– I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड को पूरा करने वाले स्थल में या अनुसूची– III के अनुसार परिलक्षित क्रैशिंग जोनों में उपलब्ध स्थलों में या किसी प्राधिकरण के विरुद्ध किसी दावे को शामिल किए बिना इकाई को बन्द करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापित करने के लिए सहमति प्राप्त (एन.ओ.सी.) करने के बाद बदलनी होगी।

2. निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम से अनुसूची– III के अनुसार परिलक्षित जोनों में क्रैशिंग इकाइयों की स्थापना करने के लिए स्थापित करने की सहमति के लिए आवेदक के विचारण के लिए निम्नलिखित पालिसी अपनाई जाएगी :–

   2.1 पहली प्राथमिकता ऐसी क्रैशिंग इकाइयों को दी जाएगी जिनको हरियाणा में कहीं भी उनके पूर्व स्थान से किसी न्यायिक प्राधिकारी के अन्तिम आदेशों के अधीन बन्द किए जाने के आदेश किए गए थे या बदले जाने के लिए आदेश किए गए थे। परन्तु किसी भी स्टोन क्रैशिंग इकाई को जिले के बाहर कहीं भी पुनः खड़ी करने (पुनः रखने के लिए) के लिए नहीं विचारा जाएगा जहां वे उस तिथि को यथा लागू जिला सीमाओं के अनुसार पहले से चल रही थी जब उन्हें रोकने के लिए न्यायिक आदेश लागू हुए थे। पुनः खड़ी करने (पुनः रखने के लिए) के लिए ऐसी क्रैशिंग इकाइयों की परस्पर प्राथमिकता उस तिथि के अनुसार दी जाएगी जब न्यायिक आदेश लागू हुए थे। तथापि, ऐसी स्टोन क्रैशिंग इकाई को ऐसी तिथि से छह मास की अवधि के भीतर जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दूसरे छह मास के लिए विस्तारित हो सकती है, स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) जारी करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) के लिए सम्पूर्ण आवेदन दायर करना होगा। इस अवधि से आगे छह मास के लिए अवधि के लिए कोई छूट कारण अभिलिखित करते हुए राज्य सरकार द्वारा लोकहित में दी जा सकती है। स्थापित करने के लिए सहमति (एन.ओ.सी.) के लिए कोई आवेदन जो स्थल की उपलब्धता की

कमी के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सका, को तथापि कालबाधित के रूप में नहीं समझा जाएगा तथा परिसीमा अवधि परिलक्षित जोनों के भीतर स्थल की उपलब्धता की तिथि से प्रारम्भ होगी।

2.2 दूसरी प्राथमिकता पुनः खड़ी करने के लिए उस स्टोन क्रैशिंग इकाई को दी जाएगी जो स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों की अननुपालना के कारण हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग द्वारा बन्द कर दी गई थी। ऐसे आवेदनों के लिए समय सीमा उपरोक्त पैरा 2.1 में यथा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार होगी।

2.3 कोई भी इकाई जो चाहे विगत में या भविष्य में उनको किसी वैध (विधिक) रोक आदेश के बिना उनकी स्टोन क्रैशिंग गतिविधियों के कारण बन्द कर दी गई थी, को किसी अनुमोदित क्रैशिंग जोन में तब तक पुनः खड़ी करने के लिए (स्थापित करने के लिए) किसी सहमति (एन.ओ.सी.) को जारी करने हेतु नहीं विचारा जाएगा जब तक उनको पहले ही प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार समायोजित किया गया है जो इससे पहले स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) जारी करने के लिए सक्षम था।

2.4 परिलक्षित जोन के भीतर किसी उपलब्ध स्टोन क्रैशिंग स्थलों के आबंटन के लिए आवेदन हरियाणा राज्य में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो अंग्रेजी तथा दो हिन्दी के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक विज्ञापन नोटिस के उत्तर में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को अब से किया जाएगा। किसी भी वर्तमान (विद्यमान) आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें सार्वजनिक विज्ञापन के उत्तर के लिए नए सिरे से आवेदन करना है।

2.5 परिलक्षित जोन में स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) के लिए आवेदनों को अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, निदेशक, पर्यावरण तथा सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से मिलकर बनी समिति द्वारा निर्णीत किया जाएगा तथा उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा की जाएगी।

2.6 विगत में दी गई या भविष्य में दी जाने वाली किसी स्टोन क्रैशर इकाई को चलाने की सहमति उत्तराधिकार (विरासत) द्वारा प्राकृतिक अन्तरण के मामले के सिवाए गैर–अन्तरण योग्य होगी।

2.7 चाहे परिलक्षित जोन में या एकल जोन में पुनः खड़ी करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा इस अधिसूचना से पूर्व जारी स्थापित करने की कोई सहमति (एन.ओ.सी.) इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह मास से अनधिक अवधि के लिए वैध होगी। तथापि, स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) द्वारा अधिसूचना को जारी होने के बाद जारी की गई है, तो वह किसी ऐसी नई स्थापित करने की सहमति (एन.ओ.सी.) के जारी होने की तिथि से नौ मास से अनधिक अवधि के लिए वैध होगी।

3. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सहित किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विद्यमान वैधानिक उपबन्धों तथा किसी प्रशासकीय आदेशों के बीच किसी विरोध के मामले में, वैधानिक उपबन्ध भारत के निर्धारित कानून के अनुसार लागू होगा।

4. उपरोक्त किन्हीं अन्य उपबन्धों के प्रतिकूल को विचार में लाए बिना किसी भी स्टोन क्रैशिंग इकाई चाहे वह किसी अनुमोदित क्रैशिंग जोन के भीतर या जोन के बाहर है, को चाहे विगत में या भविष्य में किसी अन्य लागू विधिक निर्बन्धन विधान तथा विधायी नियमों तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सहित सक्षम विधायी प्राधिकरण या विहित प्राधिकरण द्वारा लागू या विहित के उल्लंघन में चलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) को जारी करना किसी ऐसे वैधानिक वैध निर्बन्धन का उल्लंघन करने की किसी अनुज्ञा के रूप में नहीं समझा जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।